अनुच्छेद 21 का उल्लंघन

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **कोई भी महिला को कौमार्य परीक्षण के लिये मजबूर नहीं कर सकता,** क्योंकि यह **संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है,** जो उसके जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान के **मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।**

मुख्य बिंदु

- **मामले की पृष्ठभूमि:**
  - एक **याचिकाकर्त्ता ने अपनी पत्नी के लिये कौमार्य परीक्षण की मांग करते हुए** आरोप लगाया कि उसकी पत्नी अवैध संबंध में है।
  - उन्होंने पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।
- **कौमार्य परीक्षण पर न्यायालय का रुख:**
  - उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **किसी भी महिला को कौमार्य परीक्षण के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता।**
  - इसमें कहा गया कि इस तरह का **परीक्षण अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है,** जो सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
    - **कौमार्य परीक्षण की अनुमति देना मौलिक अधिकारों, प्राकृतिक न्याय** और **महिला की गरिमा का उल्लंघन होगा।**
  - उच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण और अपरिवर्तनीय है।

अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

- **किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया** के अनुसार ही उसके **जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।**
- यह मौलिक अधिकार **प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक और विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध है।**
- **अनुच्छेद 21** दो अधिकार प्रदान करता है:
  - जीवन का अधिकार
  - व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने इस अधिकार को 'मौलिक अधिकारों का हृदय' बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है।
- यहाँ राज्य में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, विधायिका आदि भी शामिल हैं।
- जीवन का अधिकार सिर्फ जीवित रहने के अधिकार के बारे में नहीं है। इसमें गरिमा और अर्थ के साथ पूर्ण जीवन जीने की क्षमता भी शामिल है।
- **केस कानून:**
  - **ए.के. गोपालन केस (1950):** 1950 के दशक तक **अनुच्छेद 21 का** दायरा सीमित था। इस मामले में **सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि** संविधान में **'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया'** शब्द ने अमेरिकी **'उचित प्रक्रिया'** के बजाय **व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ब्रिटिश अवधारणा को मूर्त रूप दिया है।**
  - **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):** इस मामले ने गोपालन मामले के फैसले को पलट दिया। **अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार** का दायरा बहुत व्यापक है, जिसमें कई अधिकार शामिल हैं, जिनमें से कुछ **अनुच्छेद 19 के तहत सन्निहित हैं,** इस प्रकार उन्हें **'अतिरिक्त सुरक्षा' दी गई है।** न्यायालय ने यह भी माना कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले कानून को अनुच्छेद 19 के तहत आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिये।
- इसका अर्थ यह है कि **किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने** के लिये **कानून के तहत कोई भी प्रक्रिया** अनुचित, **अविवेकपूर्ण या मनमानी नहीं होनी चाहिये।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/violation-of-article-21